पेपर कारखाना की जाली काटकर नगदी व चांदी के सिक्के पार

न्याय साक्षी/रायगढ़। पेपर कारखाना के खिड़की की जाली काटकर अज्ञात चोर हजारो रूपए के नोट और चांदी के सिक्के ले उड़े। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सुनारपारा रायगढ में रहने वाले सुरेश कुमार अग्रवाल का कापी का कारखाना दैनिक अखबार के दफ्तर के पास उमा पेपर इन्डस्ट्रिज के नाम पर स्थित है। जहां वर्तमान में लगभग 20-25 मजदुर काम करते है। कल शाम लगभग 3 बजे सुरेश कुमार अग्रवाल दोपहर से कारखाना बंद करके घर आ गया था। आज शाम 06 बजे सुरेश कुमार को उसके कारखाना का कर्मचारी जाकिर खान बताया कि कारखाना का दरवाजा भीतर से बंद है। तब सुरेश अग्रवाल का लडका वासूदेव कारखाना जाकर दरवाजा को खोलवाकर चेक किया तो दराज में रखे कुछ पुराने नोट तथा नया नोट लगभग 15 हजार एवं पूजा के समय खरीदे हुये चांदी के सिक्के को कोई अज्ञात व्यक्ति दिवाल फान्द कर खिडकी का जाली हटा कर कारखाना अंदर प्रवेश कर चोरी करके ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

बुनगा मार्ग पर चाकू की नोक से बाईक सवार से लूट, पुलिस लुटेरो की पतासाजी में जुटी

न्याय साक्षी/रायगढ़। डोमनपुर थाना चंद्रपुर जिला जांजगीर चाम्पा निवासी गंगा राम कर्ष पिता हेमलाल कर्ष उम्र 42 वर्ष कल थाना पुसौर में 02 व्यक्ति इसके जांघ में चाकू मारकर 2200 रूपये की लूटपाट करने की रिपोर्ट दर्ज कराया है । रिपोर्टकर्ता ने बताया कि एनटीपीसी लारा में प्राईवेट कम्पनी में ग्रान्डर मेन का काम ईन्डवेल कंम्पनी के अधिनस्थ करता हूं तथा हर रविवार को अपने मुल निवास ग्राम डोमनपुर चला जाता था। इसी तरह कल ग्राम घुटकुपाली से निवास ग्राम डोमनपुर जाने के लिए सुबह 8:30 बजे निकला था। मेरे पास पैसा नही रहने के कारण करीब 9:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक पुसौर के एटीएम से 2000 रूपये निकाला, मेरे पास अलग से 200 रूपये था कुल 2200 रूपये अपने पर्स में डालकर स्वयं के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 11 बी/4226 स्पेलन्डर प्लस से पुसौर के बाजार चौक से गोतमा होते ग्राम डोमनपुर के लिए जा रहा था गोतमा टिनमिनी के मध्य बुनगा जाने वाले मुख्य मार्ग मोड पर पीछे से मोटर सायकल में सवार 02 अज्ञात व्यक्ति आये और बोले तुम गांजा रखे हो दिखाओ, वे अपने आपको पुलिस वाले बता रहे थे, शंका होने पर पर्स दिखाने के लिये मना किया तो एक व्यक्ति जो 25 से 30 वर्ष का था उसने चाकु निकाला और दाहिने जांघ में मार दिया जिससे चाकु के नोक के चोट से खून निकलने लगा। उसके बाद दोनों पर्स में रखे 2200 रूपये को पर्स सहित तथा मोटर सायकल का चाबी छिनकर धक्का दिये और भाग गये। पीडित थाने पहुंचा और अपनी आप बीती बताया जिसका मुलाहिजा बाद अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध धारा 394 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

जिले में 125 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 1 जुलाई तक 125 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 14.8 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 103.6 मिली मीटर, पुसौर में 137.1, खरसिया में 75.3, सारंगढ़ में 140, बरमकेला में 189.2, घरघोड़ा में 156.9, तमनार में 116.9, लैलूंगा में 100.3 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 105.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

चेकिंग के दौरान रक्सोल-हैदराबाद ट्रेन में 7 नाबालिग बच्चों के साथ एक युवक गिरफ्तार

आरपीएफकी टीम ने की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। । बीती रात आरपीएफ पुलिस ने रायगढ़ स्टेशन में चेकिंग के दौरान रकसोल हैदराबाद ट्रेन में 7 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। ईधर

आरपीएफ थाना प्रभारी एम. एल. यादव ने बताया कि सोमवार को रात 9 बजे प्लेटफार्म नंबर दो में रकसोल हैदराबाद सुपरफास्ट ट्रेन आकर रुकी तो थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक और हवलदार ने नियमित चेकिंग के दौरान कोच संख्या एस-8 में गए तो वहां 7 बालको को संदिग्ध अवस्था में बैठे पाया गया। पूछताछ में बच्चों ने अपना नाम मुस्ताक अली, नियामद, सलीम, नदीम अंसारी, नशरूल अंसारी, नस रूद्दीन अंसारी व रहमत उल्ला बताया। सभी बच्चों ने अपना निवास स्थान ग्राम चंपापुर पोस्ट चैनपुर थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा झारखंड के रहने वाले बताए।

इन सभी बालकों के साथ एक व्यक्ति था जिसने अपना नाम शमशेर अंसारी बताया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में युवक ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया है। इन सभी बच्चों को पुलिस ने चाइल्ड लाइन रायगढ़ को सौंप दी है। वहीं मामले में पूछताछ जारी है।

अवैध कोयला परिवहन में लिप्त तीन ट्रेलर पकड़ाया

पूंजीपथरा पुलिस की कार्रवाई

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुखबिर से अवैध कोयला परिवहन की सूचना मिलने पर पूंजीपथरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक उद्योग के पास खडे तीन ट्रेलर को लोड कोयले के साथ जब्त किया है।

मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा अपने स्टाफ के साथ आज अवैध परिवहन रेड कार्यवाही के लिए देहात रवाना हुये थे । इस दौरान मां काली इस्पात ग्राम देलारी के पास के पास टेलर क्रमांक ओडी 16 ई 1855 एवं ओडी 16 ई 1555 में अवैध रूप से कोयला पाया गया। टेलर क्रमांक 16 - 1555 में 42 980(मय वाहन) टन ओडी 16 ई 1855 में 43280(मय वाहन) मैट्रिक भरा होना पाया गया मौके पर चालक से कोयला संबंधित कागजात चाही गई थी जो कोई व्यवधानिक दस्ताजावेज नहीं होना बताया। ओडी 16 ई 1855 का चालक मौके पर पर उपस्थित नहीं मिला वाहन छोड़कर भाग गया था आसपास पता करने पर पता नहीं चला, ओडी 16ई1555 का चालक राजेश यादव पिता रामस्वरूप यादव 25 साल साकिन सुंदरी थाना छतरपुर जिला पलामू झारखण्ड एवं टेलर क्रमांक ओडी 16 ई 0255 को आयुष ढाबा पूंजीपथरा के पास चेक किया गया जिसमें अवैध कोयला 43307 (मय वाहन)मेट्रिक टन भरा भरा होना पाया गया के चालक फुलेंद्र कुमार भुइयां पिता वासुदेव भैया 26 साल झटकदार थाना छतरपुर जिला पलामू झारखंड के विरुद्ध 41(1-4) /379 की कार्यवाही की गई एवं ओडी 16 ई1855 के विरुद्ध 102 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई 7 उक्त तीनों प्रकरणों में कुल जुमला लगभग 90 द्दह्ल कोयला कीमती 3 लाख लगभग जप्त किया गया है। उक्त कारवाही में थाना प्रभारी अमित सिंह, उप निरीक्षक रविशंकर पाण्डे, स उ नि जगत राज सिंह, रमेश कुमार बेहरा आरक्षक 691 विनोद शर्मा, 735 नरेश कुमार रजक, 798 चंद्रशेखर चंद्राकार की सराहनीय भूमिका रही।

किसानों के मूल रकबा से छेड़छाड़ कर धान खरीदी, समिति प्रबंधक व डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। किसानों के मूल रकबा से अधिक का पंजीयन कराकर रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करते हुए अवैध रूप से धान खरीदी के मामले में खरसिया पुलिस ने बानीपाथर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक जनक राम पटेल एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर सरस्वती महंत को धारा 420, 34 के तहत गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से जमानत ना मिलने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

खरसिया पुलिस के नगर निरीक्षक सुमत राम साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2015 16 में खरसिया के बानीपाथर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत किसानों के मूल रकबा से अधिक का पंजीयन कराकर रिकॉर्ड में हेरफेर करते हुए अवैध धान खरीदी की शिकायत तत्कालीन नायब तहसीलदार से की गई थी। जिस पर जांच के उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन पर तत्कालीन एसडीएम एच हरीश के द्वारा खरसिया पुलिस को अपराध पंजीबद्ध किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे।इस पर विस्तृत जांच करने के पश्चात खरसिया पुलिस ने पाया कि धान खरीदी के इस मामले में काफी गड़बड़झाला किया गया है। किसानों के मूल रकबे से अधिक के रखने का पंजीयन कराया गया। साथ ही किसानों को चेक न देकर अन्य दूसरे लोगों को चेक दे दिए जाने की बात भी सामने आई। धान खरीदी के इस सारे गड़बड़ झाले में 1288763 रूपए की अनियमितता करके शासन को चूना लगाया गया वहीं किसानों को भी उनके रकबे से अधिक पंजीयन पर मूल्य नहीं मिला। इस मामले में खरसिया पुलिस ने बानीपाथर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक जनक राम पटेल पिता उसत राम पटेल एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर सरस्वती महंत को धारा 420 एवं 34 के तहत गिरफ्तार कर लिया। बाद में दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से जमानत न मिलने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

तेज रफ्तार हाईवा ने विद्युत पोल को ठोका

न्याय साक्षी/रायगढ़। तेज रफ्तार हाईवा के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए ग्राम अंजोरी पाली के पास 11केवी बिजली लाइन के खंबे को टक्कर मार दी जिससे खंभा एवं तार क्षतिग्रस्त हो गए और क्षेत्र का विद्युत प्रवाह बाधित हो गया। विद्युत वितरण विभाग के कनिष्ठ यंत्री की रिपोर्ट पर पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ धारा 279 एवं विद्युत अधिनियम की धारा 139 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरसिया डबरा रोड में अंजोरीपाली के पास 1 जून की दोपहर 1:00 बजे लगभग तेज रफ्तार से हाईवा गाड़ी क्रमांक सीजी 13 एल ए 4562 के चालक आरोपी वाहन चालक संजय पासवान पिता दिनेश पासवान उम्र 34वर्ष सा.बलाल नि. कासमा जिला औरंगाबाद ,बिहार ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए 11केव्ही. खंबे एवं तार को टक्कर मार दी। जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया इस घटना के कारण आसपास के क्षेत्र की विद्युत सप्लाई भी बाधित हो गई जिससे लोगों को घंटों बगैर विद्युत सप्लाई के रहना पड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के कनिष्ठ यंत्री की रिपोर्ट पर पुलिस ने तेज रफ्तार वाहन चालक संजय पासवान पिता दिनेश पासवान के खिलाफ धारा 279 एवं विद्युत अधिनियम की धारा 139 के तहत मामला पंजीबद्ध कर के विवेचना शुरू कर दी है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य बिन्दु
पीड़ित संपर्क करें
अन्य बिन्दु
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480